मु0न0 – 06/2023 इन्द्राज बनाम रमेश

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 06/2023

तारीख रजू:– 26.06.2023

पीठासीन अधिकारी:– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. इन्द्राज पुत्र श्योदान मीना निवासी खेडी तहसील टोडाभीम।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रमेश पुत्र सरवन
2. गिर्राज पुत्र सरवन
3. रामप्रसाद पुत्र भौदू
4. मुकेश पुत्र रामप्रसाद

जाति मीना निवासी खेडी तहसील टोडाभीम।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128

उपस्थिति :– श्री हसंराम गूर्जर एडवोकेट प्रार्थीगण
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय — दिनांक:– 19.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत पत्थर गढी का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडी की आराजी ख0न0 754 रकबा 0.03 है0 प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की आराजी है। इस आराजी से अप्रार्थीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2023 को तहसीलदार टोडाभीम द्वारा किया जा चुका है तथा मौके पर निशानात लगवाये गये है।

मौका दिनांक 20.06.2023 को अपनी उक्त भूमि मे जोत लगा रहा था तब अप्रार्थीगण आये और सीमाज्ञान के निशानात को उखाड कर फैक दिया और कहा कि हम सीमाज्ञान को नही मानते है तथा झगडा करने पर उतारू हो गये तथा जानवरो से सुरक्षा हेतु पत्थरगढी होना आवश्यक है

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम खेडी की आराजी ख0न0 754 रकवा 0.03 है0 भूमि के पत्थर गढी करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम खेडी की आराजी ख0न0 754 रकवा 0.03 है0 प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की आराजी है। इस आराजी से अप्रार्थीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2023 को तहसीलदार टोडाभीम द्वारा किया जा चुका है तथा मौके पर निशानात लगवाये गये है। अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान के निशानात को उखाड कर फैक दिया। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थर गढी करने के आदेश तहसीलदार टोडाभीम को किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:56:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम खोहरा की आराजी ख0न0 754/0.03 है0 मे प्रार्थी मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0न0 754/0.03 है0 का

(सुनीता मीना)
पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/उप जिला कलक्टर

मु0न0:– 06 / 2023

उनवान:– इन्द्राज बनाम रमेश

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा दिनांक 09.06.2023 को सीमाज्ञान किया गया है। तहसीलदार टोडाभीम ने अपने पत्रांक:– 86 दिनांक 29.02.2024 अनुसार अनापत्ति जाहिर की है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थर गढी शुल्क तहसील कार्यालय मे जमा कराये जाने पर ग्राम गोरडा के खसरा नम्बर 754 रकवा 0.03 है0 की पत्थर गढी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2023 के अनुसार करवाई जावे। यदि मौके पर पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी टोडाभीम से आवश्यक पुलिस जाप्ता प्राप्त कर पत्थर गढी करवाई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम, जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

नोट:- आदेश दिनांक 28/6/24 अनुसार निर्णय के पृष्ठ संख्या 1 पर नीचे से ऊपर की तरफ दूसरी लाईन में ग्राम खोहरा के स्थान पर ग्राम खेड़ी तथा पृष्ठ सं० 2 पर ऊपर से नीचे की ओर छठी लाईन मे ग्राम गोरडा के स्थान पर ग्राम खेड़ी का अंकन पढा जावे।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:56:58 IST
Reason: SelfAttested